



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092021-229586
CG-DL-E-14092021-229586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3390]
No. 3390]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

का.आ. 3702(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, कोडरमा, झारखंड को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	थाना का नाम/नं.	ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जयनगर/65	कन्दरपडीह	637	0.0971	0.2400
2	जयनगर/69	रेभनाडीह	428	0.0057	0.0140
3	जयनगर/140	प्रतापपुर	135	0.0466	0.1152
			149	0.0470	0.1161
4	जयनगर/143	बेहराडीह	957	0.0040	0.01
			1382	0.0040	0.01
			1389	0.0020	0.005
			1402	0.0040	0.01
5	जयनगर/144	तिलोकरी	314	0.0242	0.06

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2202]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

S.O. 3702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Koderma in the State of Jharkhand hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, District Land Acquisition Officer, Koderma, Jharkhand in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Koderma in the State of Jharkhand.

Serial Number	Name of Thana/No.	Name of villages	Plot No.	Area in Hectare	Area in Acre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jainagar-65	Kandrapdih	637	0.0971	0.2400
2	Jainagar-69	Rebhnadih	428	0.0057	0.0140
3	Jainagar-140	Pratappur	135	0.0466	0.1152
			149	0.0470	0.1161
4	Jainagar-143	Behradih	957	0.0040	0.01
			1382	0.0040	0.01
			1389	0.0020	0.005
			1402	0.0040	0.01
5	Jainagar-144	Tilokari	314	0.0242	0.06

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2202]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)